

## एकीकृत मेट्रो कानून की आवश्यकता

हाल ही में आवास और शहरी मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने देश के सभी मेट्रो रेल नेटवर्कों के लिये एकल और व्यापक कानून की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है और मौजूदा तीन केंद्रीय अधिनियमों का वरिोध किया है।

- सभी मेट्रो रेल परियोजनाएँ मेट्रो रेलवे (नरिमाण कार्यों) अधिनियम, 1978, मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 और रेलवे अधिनियम, 1989 के कानूनी ढाँचे के अंतर्गत आती हैं।

### पैनल द्वारा उजागर प्रमुख मुद्दे:

- दिल्ली और मुंबई को छोड़कर सभी महानगरों में यात्रियों की संख्या कम है।
- जिससे परियोजनाओं में लाभ अर्जन की स्थिति (Breaking Even Point) प्राप्त करने में देरी हो रही है।
- छह से सात वर्ष के नरितर संचालन के बाद भी कुछ चुनौतियाँ अभी भी बरिद्यमान हैं, जैसे:
  - दोषपूर्ण वसितृत परियोजना ररिपोर्ट (Faulty Detailed Project Report-DPRs)
  - प्रथम बरिदि से अंतमि बरिदि तक कनेक्टविटि प्रदान करने हेतु उचति योजना का अभाव,
  - मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर पार्कगि की वरिवस्था,
  - जलग्रहण क्षेत्तर बढाने की आवश्यकता आदी।

### पैनल की सफिररिशें:

- पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों के बजाय कम सवारियों वाले छोटे शहरों में **अल्प पूंजी-गहन मेट्रोनेयो (MetroNeo)** और **मेट्रोलाइट (MetroLite)** नेटवर्क के उपयोग की आवश्यकता है।
  - मेट्रोनेयो टरियर-2 और टरियर-3 शहरों के लिये नमिन लागत, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल शहरी परविहन समाधान प्रदान करने वाली एक वशिल रैपडि ट्रंज़रिति प्रणाली है।
  - मेट्रोलाइट प्रणाली के साथ सड़क यातायात को पृथक करने के लिये एक समर्रपति पथ का नरिमाण होगा,
    - सड़क यातायात के साथ पृथक्करण के लिये, **पथ के दोनों ओर बाड़** लगाई जा सकती है।
- इसके अलावा **कोच्चाजिल मेट्रो परियोजना** को भारी उद्योग मंत्रालय की **फेम-II योजना** के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिये क्योंकि यह बैटरी से चलने वाली नावों का उपयोग करके परविहन क्षेत्तर को प्रदूषण मुक्त करने का एक उचति माध्यम होगा।

### स्रोत: द हदि